न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १२००६ निगरानी

R 1178 II 06

१। जगदीश पुत्र श्री शंकरलाल
२। रामभरोसी पुत्र श्री शंकरलाल
दोनों पुत्रगण श्री शंकरलाल
निवासीगण ग्राम लहरोनी, तहसील
कराहल, जिला श्योपुर, म0प्र0 ---
प्रार्थीगण

आज दि. 6/12/06 .... द्वारा प्रस्तुत।
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विरुद्ध

१। सियाबाई विधवा पत्नी श्री प्रभू
२। रामसेवक पुत्र श्री प्रभू
३। जयप्रकाश पुत्र श्री प्रभू
४। बसंती पुत्री श्री प्रभू
५। मालती पुत्री श्री प्रभू
सभी निवासीगण ग्राम लहरोनी,
तहसील कराहल, जिला श्योपुर, म0प्र0
६। ब्रजेश फौत वारिस -
१। बबली विधवा पत्नी श्री ब्रजेश
२। राजेश पुत्र श्री ब्रजेश अवयस्क
३। राहुल पुत्र श्री ब्रजेश अवयस्क
४। नीतू पुत्री श्री ब्रजेश अवयस्क
तीनों अवयस्क व संरक्षक माँ
स्वयं बबली विधवा पत्नी श्री
ब्रजेश, निवासीगण ग्राम लहरोनी
तहसील कराहल, जिला श्योपुर, मप्र
७। बनवारी लाल फौत वारिस -
१। ललिता विधवा पत्नी श्री
बनवारीलाल

R 1178.07.6

२। अखिलेश पुत्र श्री बनवारीलाल

३। पिंकी पुत्री श्री बनवारीलाल अवयस्क

४। विष्णु पुत्र श्री बनवारीलाल अवयस्क
संरक्षक माँ स्वयं ललिता विधवा पत्नी
श्री बनवारीलाल, निवासीगण ग्राम
लहरौनी, तहसील कराहल, जिला
श्योपुर, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना दिनांक ३१-१०-२००५ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९। प्रकरण क्रमांक १३२।२००४-२००५ अपील।

- -

श्रीमान .

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1178-एक/2006 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता०
20.6.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 132/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-10-05 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी एंव अनावेदक कमांक 7 के वारिसान की ओर से श्री बिनोदकुमार बंसल अभिभाषक के तर्क सुने गये। अनावेदक कमांक 1 से 6 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण की स्थिति यह है कि ग्राम लहरोनी स्थित कुल किता 5 कुल रकबा 57 वीघा 10 विसवा के भूमिस्वामी हजारीलाल की मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 10 पर आदेश दिनांक 30-3-03 से सियावाई, रामसेवक, जयप्रकाश, बसंती, मालती का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी कराहल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 2/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-5-05 से अपील निरस्त की गई है। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना के समक्ष अपील होने पर	

प्र0क्र0 1178–एक/2006 निग0

प्रकरण क्रमांक 132/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–05 से अपील अस्वीकार की गई है। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है जिसमें बताया गया है कि नामान्तरण करते समय इस्तहार का प्रकाशन सही ढंग से नहीं किया गया एंव नामान्तरण नियम 27 का पालन नहीं किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने अपीलीय न्यायालय के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है।

4/ अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित है कि नामान्तरण करते समय इस्तहार के प्रकाशन वावत् एंव नामान्तरण नियम 27 का पालन न करने न करने वावत् अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिये हैं और दोनों न्यायालयों व्दारा नामान्तरण किये जाने वावत् निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 132/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–05 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य